

कार्यालय-नगर निगम, काशीपुर जिला-ऊधमसिंहनगर

होर्डिंग्स/यूनिपोल की तकनीकी निविदा में लगने वाले अभिलेखों का विवरण

फर्म का नाम :-

क्र. सं.	निविदा हेतु संलग्न अभिलेखों का विवरण	क्र०सं०/पेज संख्या
1	निविदा शुल्क रसीद की मूल प्रति	
2	धरोहर राशि रु०	
3	जी०एस०टी० नम्बर	
4	पेन नम्बर	
5	03 वर्षों का आयकर रिटर्न	
6	सरकारी संस्था द्वारा निर्गत 05 वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र	
7	हैसियत प्रमाण पत्र	
8	चरित्र प्रमाण पत्र	
9	ब्लैक लिस्ट न होने का शपथ पत्र	
10	100 रुपये का स्टाम्प पेपर	

हस्ताक्षर निविदादाता

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, काशीपुर

कार्यालय-नगर निगम, काशीपुर जिला-ऊधमसिंहनगर

टेण्डर-फार्म (वित्तीय निविदा)

होर्डिंग्स/यूनिपोल


सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, काशीपुर

1	टेण्डर फार्म की कीमत	8000/- रुपये + 18 प्रतिशत जी०एस०टी०
2	दिनांक एवं रसीद सं०	
3	फर्म/निविदादाता का नाम	
4	विज्ञापन होर्डिंग्स/यूनिपोल न्यूनतम सरकारी राशि (01)प्रथम वर्ष- 44 लाख रुपये + जी०एस०टी० व अन्य कर पृथक से। (02)द्वितीय वर्ष- 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ कुल 48.40 लाख रुपये + जी०एस०टी० व अन्य कर पृथक से।	
5	विज्ञापन होर्डिंग्स/यूनिपोल का विवरण (वित्तीय वर्ष 2022-2023 एवं 2023-2024 तक)	विज्ञापन (होर्डिंग्स/यूनिपोल) से सम्बन्धित सूचना कर अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है।
6	टेण्डर फार्म बिक्री की तिथि	दिनांक 29.10.2022 से 16.11.2022 को 01:00 बजे तक (निर्धारित मूल्य प्राप्त कर कैशियर, नगर निगम द्वारा कार्यालय समय तक)
7	टेण्डर डालने की तिथि एवं समय	दिनांक 16.11.2022 को समय 03:00 बजे(अपराह्न)
8	टेण्डर खुलने की तिथि एवं समय	तकनीकि निविदा में अर्ह निविदादाताओं की वित्तीय निविदा 16.11.2022 को सांय 05:00 बजे अथवा कमेटी की संस्तुति पर नियत तिथि पर खोली जायेगी।
9	निविदा समिति के सदस्यों/अध्यक्ष/सचिव के अपरिहार्य परिस्थितिवश अनुपलब्धता होने अथवा कोई आक्रिमिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए निविदा खोले जाने की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है, जो निविदादाता को मान्य होगा।	

हस्ताक्षर निविदादाता


सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, काशीपुर

कार्यालय-नगर निगम, काशीपुर जिला-ऊधमसिंहनगर

टेण्डर-फार्म (वित्तीय निविदा)
वैद्युत/प्रदीप्त विज्ञापन

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, काशीपुर

1	टेण्डर फार्म की कीमत	
2	दिनांक एवं रसीद सं०	5000/- रुपये + 18 प्रतिशत जी०एस०टी०
3	फर्म/निविदादाता का नाम	
4	वैद्युत/प्रदीप्त विज्ञापन न्यूनतम सरकारी राशि (01)प्रथम वर्ष— 6.5 लाख रुपये प्रति स्थल + जी०एस०टी० व अन्य कर पृथक से। कुल $6.5 \times 8 = 52$ लाख रुपये + जी०एस०टी० व अन्य कर पृथक से। (02)द्वितीय वर्ष— 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ कुल 59.8 लाख रुपये + जी०एस०टी० व अन्य कर पृथक से।	
5	वैद्युत/प्रदीप्त विज्ञापन का विवरण (वित्तीय वर्ष 2022-2023 एवं 2023-2024 तक)	वैद्युत/प्रदीप्त विज्ञापन से सम्बन्धित सूचना कर अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है।
6	टेण्डर डालने की तिथि एवं समय	दिनांक 16.11.2022 को समय 03:00 बजें(अपराह्न)
7	टेण्डर खुलने की तिथि एवं समय	तकनीकि निविदा में अर्ह निविदादाताओं की वित्तीय निविदा 16.11.2022 को सायं 05:00 बजें अथवा कमेटी की संस्तुति पर नियत तिथि पर खोली जायेगी।
8	निविदा समिति के सदस्यों/अध्यक्ष/सचिव के अपरिहार्य परिस्थितिवश अनुपलब्धता होने अथवा कोई आकर्षिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए निविदा खोले जाने की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है, जो निविदादाता को मान्य होगा।	

हस्ताक्षर निविदादाता

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, काशीपुर

कार्यालय—नगर निगम, काशीपुर जिला—ऊधमसिंहनगर
टेण्डर-फार्म (तकनीकी निविदा)

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम काशीपुर

1	फर्म/निविदादाता का नाम	
2	आयकर एवं व्यापार कर की पंजीकरण संख्या एवं पैन/जी०एस०टी० नम्बर	
3	धरोहर राशि का विवरण (सरकारी बोली का 10 प्रति०) एफ०डी०/एन०एस०सी०/बैंक ड्राफ्ट के रूप में।	
4	टेण्डर डालने की तिथि एवं समय	दिनांक 16.11.2022 को समय 03:00 बजे (अपराह्न तक)
5	टेण्डर खुलने की तिथि एवं समय	दिनांक 16.11.2022 को समय 05:00 बजे(अपराह्न) निर्धारित समिति द्वारा

विज्ञापन/होर्डिंग्स/यूनिपोल शर्ते

- 01— उत्तराखण्ड नगर निगम (विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) नियमावली-2015 में गठित कमेटी द्वारा चयनित 161 स्थलों की सूची संलग्न है। संलग्न सूची में वर्णित स्थलों के लिए यह टेण्डर आमंत्रित है।
- 02— निविदा दोहरी प्रणाली के अन्तर्गत होनी है, जिसमें अभिलेखीय कार्यवाही का लिफापा पृथक से तथा वित्तीय दरों का लिफापा अलग से दिया जाना अनिवार्य है।
- 03— निविदादाता को टेण्डर फार्म में अंकित धरोहर धनराशि की एफ०डी०आर०/एन०एस०सी०/बैंक ड्राफ्ट नगर आयुक्त, नगर निगम, काशीपुर के पदनाम से बन्धक कर तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ मूल रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- 04— निविदादाता को जी०एस०टी० में पंजीकरण एवं जी०एस०टी० संख्या सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
- 05— निविदादाता को गत तीन वर्ष की आयकर रिटर्न का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- 06— निविदादाता को कम से कम 05 वर्ष का सरकारी संस्था द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र में विज्ञापन से सम्बन्धित (होर्डिंग्स, यूनिपोल आदि) का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 07— निविदादाता द्वारा रु० 100 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का फोटोसहित शपथ-पत्र मूल रूप में संलग्न करना होगा कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र एवं विवरण पूर्ण रूप से सत्य है तथा इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है तथा उन्हें विज्ञापन होर्डिंग्स के सम्बन्ध में टेण्डर फार्म के साथ निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित 01 लगायत 42 की शर्ते निविदादाता को मान्य हैं।
- 08— विज्ञापन होर्डिंग्स/यूनिपोल शुल्क ठेका नीलामी वित्तीय वर्ष 2022-2023 एवं 2023-2024 के लिए होगी। 31 मार्च, 2024 को प्रत्येक दशा में कार्यवाही समाप्त होगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल निविदा राशि में अवशेष अवधि की राशि की गणना कर जमा करायी जायेगी।

हस्ताक्षर निविदादाता

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, काशीपुर

पेज नं०-०४

- फर्म का गठबन्धन है तो वह निविदा में लगाये गये अनुभव से पूर्व का पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- 10- निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न निविदा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के स्पष्ट दिनांक सहित हस्ताक्षर करने होंगे। हस्ताक्षरित न होने पर टैण्डर फार्म निरस्त माना जायेगा।
- 11- निविदादाता द्वारा समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति स्वप्रमाणित कर लगानी आवश्यक होगी।
- 12- विज्ञापन होर्डिंग्स/ यूनिपोल के ठेके की उच्चतम धनराशि को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निगम स्तर से गठित समिति की अनुशंसा पर नगर आयुक्त में निहित होगा।
- 13- बाढ़/वर्षा एवं अन्य प्राकृतिक घटना से उत्पन्न लाभ-हानि एवं क्षति के लिए नगर निगम उत्तरदायी नहीं होंगे तथा निगम को देय धनराशि देना सम्बन्धित के लिए बाध्यकारी होगा।
- 14- विज्ञापन होर्डिंग्स/ यूनिपोल शुल्क वसूली ठेके की उच्चतम धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि उच्चतम प्रस्तावक/उच्चतम निविदादाता को निविदा स्वीकृति के 03 दिवस भीतर तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि 06 माह के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकृत हुई हो कि अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी तथा धरोहर धनराशि जब्त कर द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को कार्य तत्काल प्रभाव से दे दिया जायेगा।
- 15- द्वितीय एवं तृतीय निविदादाता की जमानत धनराशि प्रथम निविदादाता के नाम ठेके स्वीकृत होने के उपरान्त ही वापस की जायेगी।
- 16- उच्चतम निविदादाता को उच्चतम बोली की धनराशि पर प्रभावी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के समस्त करों (आयकर एवं व्यापार कर) का भुगतान नियमानुसार स्वयं करना होगा।
- 17- उच्चतम निविदादाता को निर्धारित स्टाम्प पेपर पर निबन्धन कार्यालय में नगर निगम, काशीपुर की शर्तों के अनुरूप रजिस्टर्ड अनुबन्ध कराना होगा। ठेके के अनुबन्ध के लिए ठेकेदार द्वारा निर्धारित स्टाम्प पेपर प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं या स्टाम्प की कमी होती है तो इसकी प्रतिपूर्ति निविदादाता/ठेकेदार द्वारा स्वयं की जायेगी।
- 18- निविदादाता को टैण्डर फार्म के साथ जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी से जारी बैद्य हैसियत प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 19- अनुबन्ध निबन्धक कार्यालय में पंजीकरण उपरान्त ही विज्ञापन लगाने की कार्यवाही किये जाने हेतु निविदादाता अधिकृत होगा। अनुबन्ध के संलग्नक में विज्ञापन प्रबन्धन में लगे कार्मिकों का नाम व पता अंकित करना होगा साथ ही संचालन दल के सदस्यों को जारी परिचय पत्र की प्रति अनुबन्ध कार्य एजेन्सी द्वारा निगम में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 20- विज्ञापन होर्डिंग्स/ यूनिपोल की संरचना मजबूत व फ्रेम आकार में होनी आवश्यक है, जो विज्ञापन होर्डिंग्स, यूनिपोल आदि लगाये जाने हैं वह निगम के तकनीकी स्टॉफ की देख-रेख में लगेंगे।
- 21- उत्तराखण्ड नगर निगम (विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) नियमावली-2015 में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 22- जनहित, यातायात की दृष्टि एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार यदि किसी स्वीकृत विज्ञापन पट्ट को हटाने की आवश्यकता होती है तो बिना किसी नोटिस के विज्ञापन पट्ट हटा दिया जायेगा। जिस हेतु कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
- 23- विज्ञापन पट्टों में प्रयोग किये जाने वाले रंग, फोन्ट साईज व ऑफिशियल ट्रैफिक साइन वाहन चालक को भ्रमित करने वाले नहीं होने चाहिए।



सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, काशीपुर

हस्ताक्षर निविदादात

रोड पट्टी पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन अवैध रूप से लगाने पर अनुबन्धकर्ता स्वीकृत निविदादाता से प्रति विज्ञापन रु० 5000/- जुर्माना वसूल किया जायेगा एवं अवैध विज्ञापन पट्ट को तत्काल हटाते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। इस पर होने वाले व्यय की वसूली ठेकेदार से की जायेगी।

- 25- ठेकेदार/फर्म को जनहित में सुंदर काशीपुर, स्वच्छ काशीपुर, स्वच्छ भारत तथा नगर निगम, काशीपुर का लोगो तथा यातायात की दृष्टि से लगाये जाने वाले विज्ञापन के लिए होर्डिंग्स/यूनिपोल में निगम आवश्यकतानुसार स्थान दिया जायेगा। जिसका ठेकेदार द्वारा कोई भुगतान नहीं लिया जायेगा। राज्य एवं भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के विज्ञापनों पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।
- 26- विज्ञापन होर्डिंग्स/यूनिपोल के अन्तर्गत किसी भी चिन्हित स्थल की सरकार एवं नगर निगम को आवश्यकता होने पर तत्काल खाली करना होगा। जिस हेतु किसी भी प्रतिपूर्ति के लिए नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा, न ही अनुबन्धकर्ता उस पर आरोपित शुल्क में छूट पाने का अधिकारी होगा।
- 27- उच्चतम निविदादाता की धरोहर धनराशि ठेके की सम्पूर्ण धनराशि जमा एवं ठेका अवधि समाप्त होने के उपरान्त सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही मुक्त की जायेगी।
- 28- विज्ञापन होर्डिंग्स/यूनिपोल बोर्ड से सम्बन्धित माननीय उच्चतम न्यायालय, केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों/निर्देशों का पालन फर्म को किया जाना आवश्यक होगा।
- 29- उपरोक्त निविदा से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का वाद-विवाद उत्पन्न होने पर नगर आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा तथा किसी भी प्रकार के न्यायिक मामलो में न्याय क्षेत्र काशीपुर होगा।
- 30- नगर निगम अथवा शासन द्वारा टेण्डर के सम्बन्ध में कोई भी प्रतिकूल कार्यवाही की जाती है तो निगम बिना कोई कारण बतायें ठेके को निरस्त करने के लिये स्वतन्त्र होगा, जिस पर कोई अभिकथन स्वीकार नहीं होगा।
- 31- नगर निगम द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक विज्ञापन नगर क्षेत्र में प्रदर्शित होने की स्थिति में विज्ञापन प्रयोजन हेतु चयनित एजेन्सी को उसी अनुपात में पृथक से धनराशि जमा करनी होगी।
- 32- निगम की अनुमति के बिना होर्डिंग्स/यूनिपोल विज्ञापन बोर्ड अवैध माना जायेगा। अवैध होर्डिंग्स व यूनिपोलों के सम्बन्ध में विज्ञापन प्रयोग हेतु चयनित एजेन्सी को उत्तरदायी मानकर एजेन्सी पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- 33- विज्ञापन होर्डिंग्स/यूनिपोल मार्ग के समानान्तर न हो, जिससे पैदल चलने वालों को यातायात में बाधा उत्पन्न न हो।
- 34- यूनिपोल/होर्डिंग्स मार्ग की पेंटेड सतह के किनारे से न्यूनतम 3.00 मी० की दूरी से कम पर न लगाये जायें।
- 35- मार्ग पर यूनिपोल/होर्डिंग्स इस प्रकार लगाये जायेंगे जिससे स्थल पर दुर्घटना की सम्भावना न बने।
- 36- यूनिपोल/होर्डिंग्स लगने से यातायात में vision obstruction उत्पन्न न हो।
- 37- यूनिपोल/होर्डिंग्स की फाउण्डेशन सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत व सुरक्षित हो तथा मार्ग पर चल रहे वाहनों व पैदल यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अनुबन्ध प्राप्त होने पर यूनिपोल नगर निगम की सम्पत्ति होंगे।
- 38- भविष्य में मार्ग का चौड़ीकरण होने पर यूनिपोल/होर्डिंग्स तुरन्त हटाना होगा।
- 39- सम्बन्धित ठेकेदार कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व क्षेत्र से सम्बन्धित सहायता/अभियोग/कनिया/आयुक्त, लोक निर्माण विभाग, काशीपुर से सम्पर्क कर कार्य प्रारम्भ करें, जिससे कोई भी विषम परिस्थिति उत्पन्न न हो।

हस्ताक्षर निविदादाता


सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, काशीपुर

पेज नं०-०६

- होर्डिंग्स/यूनिपोल हेतु स्वीकृत दो वर्ष की अवधि में यदि निगम स्तर से होर्डिंग्स/यूनिपोलों की संख्या बढ़ाई जाती है तो निविदा प्राप्तकर्ता एजेन्सी स्वीकृति शुल्क के अनुसार अनुमानित आधार पर बढ़े हुए होर्डिंग्स/यूनिपोलों के लिए भी शुल्क जमा करने के लिए बाध्य रहेगी।
- 41- निगम अपनी आवश्यकता अनुसार चिह्नित 161 स्थलों में किसी भी 25 स्थलों को नगर निगम की योजनाओं/नगर निगम अपनी आवश्यकता अनुसार चिह्नित 161 स्थलों में किसी भी 25 स्थलों को नगर निगम की योजनाओं/आवश्यकताओं के लिए निःशुल्क प्रयोग में लेने के लिए स्वतंत्र रहेगी।
- 42- निविदा प्राप्तकर्ता एजेन्सी द्वारा यदि निर्धारित शुल्क समय से जमा नहीं किया जाता है तो 15 प्रतिशत ब्याज के साथ शुल्क आरोपित होगा।
- 43- होर्डिंग्स/यूनिपोल पर निगम द्वारा समिति से निर्धारित यूनिकोड संख्या क्रमांक के रूप में प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
- 44- यदि दो वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर किन्हीं कारणों से नवीन निविदा नहीं हो पाती है, तो पूर्व की निविदा में 15 प्रतिशत की वृद्धि 04 माह के लिए नवीन निविदा होने तक की अवधि की राशि में नियमनुसार जी०एस०टी० जमा की जानी अनिवार्य होगी।
- 45- उक्त निविदा राशि में दूसरे वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
- 46- उपरोक्त शर्तों में किन्हीं एक या समस्त शर्तों का उल्लंघन करने पर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही के साथ-साथ निगम को होने वाली किसी प्रकार की क्षति या अप्रिय स्थिति के लिए निविदादाता के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए ठेके की शेष धनराशि भू-राजस्व की भाँति वसूल की जायेगी।

मैं निवासी
 पुत्र
 उपरोक्त निविदा के बिन्दु संख्या- 01 से 46 तक की शर्तों को भली-भाँति पढ़ एवं समझ लिया गया है
 और इसके उपरान्त ही मेरे द्वारा संतुष्ट होने पर ही निविदा में प्रतिभाग किया जा रहा है।

हस्ताक्षर निविदादाता


 सहायक नगर आयुक्त
 नगर निगम, काशीपुर

वैद्युत विज्ञापन हेतु शर्ते

विज्ञापन/होर्डिंग्स/यूनिपोल हेतु निर्धारित समस्त शर्तों 01 लगायत 46 के साथ ही वैद्युत/प्रदीप्त विज्ञापन हेतु पृथक से निम्नलिखित शर्ते लागू होंगी :-

- 47- उत्तराखण्ड नगर निगम (विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) नियमावली-2015 में गठित कमेटी द्वारा वैद्युत/प्रदीप्त विज्ञापन हेतु चयनित 08 स्थलों की सूची संलग्न है। संलग्न सूची में वर्णित स्थलों के लिए यह टैण्डर आमंत्रित है।
- 48- वैद्युत/प्रदीप्त विज्ञापन हेतु बिजली कनेक्शन की व्यवस्था स्वयं निविदादाता को करनी होगी।
- 49- निविदादाता द्वारा कोई ऐसा विज्ञापन परिनिर्मित व प्रदर्शित नहीं किया जायेगा जो गहन प्रदीप्ति का हो, जिससे यातायात प्रभावित न हो।
- 50- निविदादाता द्वारा कोई चौंधाने वाला, ओझल करने वाला वैद्युत/प्रदीप्त विज्ञापन परिनिर्मित व प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, जिससे दुर्घटना की सम्भावना उत्पन्न न हो।
- 51- सूची में निर्धारित एक या अधिक स्थल के लिए निविदादाता निविदा देने के लिए स्वतंत्र होगा।

मैं पुत्र निवासी
 उपरोक्त निविदा के बिन्दु संख्या- 01 से 51 तक की शर्तों को भली-भांति पढ़ एवं समझ लिया गया है
 और इसके उपरान्त ही मेरे द्वारा संतुष्ट होने पर ही निविदा में प्रतिभाग किया जा रहा है।

हस्ताक्षर निविदादाता

सहायक 
 नगर आयुक्त
 नगर निगम, काशीपुर